**संख्या-36/2024/I/535872/2024/001-71-2099-44-2023**

**प्रेषक,**

**श्रीप्रकाश गुप्ता,**
**विशेष सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,**
**लखनऊ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक 05 अप्रैल, 2024**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद के अंतर्गत सहायता अनुदान (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

**----------**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-**KSSSCI/Lekha-34/08/2024-25 **दिनांक 04.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद के अंतर्गत सहायता अनुदान (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

**2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद के मानक मद-31 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-**

**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>**

1. **स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।**
2. **स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यवकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।**
3. **निदेशक एवं वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।**
4. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. धनराशि को कोषागार से के0जी0एम0यू0 के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 ( रुपये पचास करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050308 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( श्रीप्रकाश गुप्ता )
विशेष सचिव।

संख्या-36/2024/।/535872/2024/001-001-71-2099-44-2023-, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।